6; 50 (क) (ii)—लोकसेवा में नियुक्त या प्रवेश के बारे में जो अर्जियाँ प्राप्त हों, उन्हें छोड़कर; राज्यपाल या मुख्य-मंत्री को सम्बोधित अर्जियों की प्राप्ति तुरत की जाय, अर्थात् कोई जाँच किये बिना।

6, 50 (iii) .....जब सरकार को सम्बोधित अर्जी मिले, तब यदि इसे तुरत अस्वीकृत करने के लिये पर्याप्त सामग्री वर्त्तमान हो तो इसकी अस्वीकृति की सिफारिश की जाय। इसी तरह, यदि स्थानीय पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के स्पष्ट कारण वर्त्तमान हों तो इसकी तुरत सिफारिश की जाय। किन्तु अर्जी देनेवाले ने इसकी अस्वीकृति या स्थानीय निर्देश की वांछनीयता पर तुरत निर्णय के लिये पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत न की हो, तो अर्जी, अर्जीकार को लौटा देनी चाहिये। जो भी हो अर्जी लौटाते समय अर्जीकार को यह साफ-साफ बताने की हर कोशिश करनी चाहिये कि और कौन सी जानकारी चाहिये, ताकि अर्जी निबटाने से पहले अर्जीकार से फिर पूछ-ताछ करने की जरूरत न हो।

———

संख्या ओ० एम०/आर—1-062/75-712

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

———

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

———

सभी विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न)।

पटना, दिनांक 2 दिसम्बर, 1975।

विषय :—संचिकाओं का गठन एवं संचिकाओं का अन्तर्विभागीय निर्देशीकरण।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि इधर अन्तर्विभागीय निर्देशीकरण के क्रम में प्राप्त संचिकाओं से ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकतर विभाग संचिकाओं के आवरण एवं प्रथम टिप्पणी-पृष्ठ पर विभाग का नाम नहीं लिखते हैं जिससे यह पता नहीं चलता कि किसी विभाग से संचिका भेजी गई है। यह स्थिति एक विभाग से उन विभागों में भेजी संचिकाओं के क्षेत्र में भी हो सकती है। अतः इस त्रुटि की ओर विभाग/विभागाध्यक्षों का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया जाता है कि जब भी कोई संचिका (मूल या खंड) खोली जाय; सर्वप्रथम उसके आवरण पर एवं प्रथम टिप्पणी-पृष्ठ के शीर्ष पर विभाग का नाम स्पष्ट रूप से लिख डालें। इसके अतिरिक्त जब भी कभी अन्तर्विभागीय निर्देश में दूसरे विभाग में संचिका या परिपत्र भेजा जाय या उसे मूल विभाग को वापस किया जाय, तो पृष्ठांकित करनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे उनका नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम टंकित कर दिए जाएँ। इसे सभी पदाधिकारियों/सहायकों के बीच परिचारित किया जाय।

ह०/ कीर्त्ति नारायण
सरकार के उप सचिव

———

कार्मिक विभाग,

(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

———

श्री राम प्रकाश खन्ना,
मुख्य सचिव, बिहार।

पटना, दिनांक 27 जनवरी, 77

अर्ध-सरकारी पत्र संख्या ओ० एम०/आर—2—08/72-53/77

प्रिय श्री.....

मेरे पूर्वाधिकारी के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या ओ० एम०/५७२; दिनांक 30-9-75 (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया निर्देश किया जाए। मैं आशा करता हूँ कि अन्तर्विभागीय निर्देश के क्रम में अन्य विभागों से प्राप्त संचिकाओं का, विशेष कर